न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/17/19	22–03–2019	25–06–2019

1. सावल राम गोयल पुत्र स्व0 श्री पन्ना लाल जाति वैश्य निवासी स्कीम नं0 4 प्लॉट संख्या 188 अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुधीर गोयल पुत्र सावल राम
2. श्रीमती नीतू उर्फ नीता गोयल पत्नि श्री सुधीर पुत्री श्री शंक लाल जाति वैश्य निवासी स्कीम नं0 4 प्लॉट संख्या 188 अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 04.02.2019

उपस्थितः–

01. श्री अजय मोहन मुखीजा –वकील अपीलान्ट
02. कु0 सुषमा शर्मा –रैस्पा0 संख्या 2

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 04.02.209 से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस पेंश कर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलार्थी के मालिकाना हक को दर किनार कर अपीलार्थी के मकान प्लॉट 188 का वह कानूनन एक मालिक है, वरिष्ठ नागरिक और कानूनन अपीलार्थी के अधिकार है कि जो सन्तान व उसके परिवार का सदस्य जो उसे मानसिक शीरीरिक व आर्थिक हानि पहुचायेगा एव भरण पोषण नही करेगा तो उसे बेदखल कर सकता है। अपीलार्थी के पास आय का साधन भी रैस्पा0 के मकान के कब्जे वाले हिस्से में ऊपर की मंजिल में रूका हुआ है। रैस्पा0 संख्या 01 व 02 पति पत्नि है और दोनों में लम्बे समय से वैवाहित संबंधो में कडवाहट आ गई है एवं अनैतिक आचरण व अनुचित आधारों से आक्षेपित किया जा रहा है। रैस्पा0 सं0 1 व 2 अपीलार्थी से लडाई झगडा करते है और नाजायज रूपयों की मांग करते है एवं रैस्पा0 प्लॉट में बने मकान को हडप करना चाहते थे। अपीलार्थी की पत्नि का देहांत हो चुका है। रैस्पा सं0 1 मकान खाली कर के 3 साल से अलग रह रहा है, और उसका विवादित जायदाद से कोई लेना देना किसी तरह का नहीं है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलार्थी द्वारा विवादित जायदाद से बेदखल करने का दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 31.08.18 को साया कर अपनी जायदाद से बेदखल कर रखा है। रैस्पा0 संख्या 02 ने समस्त तथ्यों को डिनायल किया है। अपीलार्थी रैस्पा0 संख्या 02 से शारीरिक व पारिवारिक सुविधाओं से महरूम हो गया है, इनके लडाई झगडें एवं विवादों से अपीलार्थी बहुत गम्भीर घुटर महसूस कर रहा है। उनके आचरण से अपीलार्थी दुखी तो है उसके साथ ही जीने की लालसा भी क्षीण होती जा रही है। तहत अदालत ने धारा 08 अधिनियम 2007 में जांच योग्य अपीलार्थी का मामला होने से निर्धारित प्रक्रिया की पालना नही की है, जिससे वस्तुस्थिति विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय की पत्रावली पर नहीं आ पाये है जिसके आधार पर निर्णया होना चाहिऐं था इस प्रकार प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जांच के बिना निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। तहत अदालत में अपीलार्थी ने उसकी पत्नि की वसीयत की छायाप्रति भी प्रस्तुत की थी, जिसके तथ्यों पर भी तहत अदालत द्वारा गौर नहीं किया गया। मात–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्पस्ट उल्लेख है कि धारा 23 कतिपय परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा–(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को प्रदान करे और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को प्रदान करने से इंकार करता है या असफल रहता है वहां सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या प्रपीडन द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।–(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को सम्पदा में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सम्पदा या उसका भाग अन्तरित किया जाता है वहां भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरिती के विरूद्व प्रवर्तित किया जा सकेगा यदि अन्तरिती को अधिकार का ज्ञान है या यदि अन्तरण अनुग्रहित है किन्तु प्रतिफल के लिये अन्तरिती के विरूद्व और अधिकार के ज्ञान के बिना प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा। तहत अदालत ने उक्त प्रोवीजन्स होने के कारण भी प्रोवीजन्स पर गौर नहीं किया और बिना गौर कियी सरसरी रूप से प्रार्थना पत्र निर्धारण कर दिया। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है तथा उसकी उम्र 77 वर्ष है उसके पास उक्त जायदार के अलावा अन्य कोई जायदार नहीं है। अतः अधिनियम 2007 की धारा 23 का मूल दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिक के हित के संदर्भ में लिया जाकर अपीलार्थी के जीवन यापन के साधन के रूप में मेरे प्लॉट से रैस्पा0 संख्या 2 से कब्जा छोडकर अपीलार्थी को कब्जा सम्भल हेतु आदेश फरमावें। अपने कथन की पुष्टी में पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की प्रति, प्रकरण बअनुवान सांवलराम बनाम सुधीर इस्तगासा धारा 107,116 की प्रति, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बअनुवान राजीव बहल बनाम स्टेट एण्ड अदर्स मु0नं0 12294/18 के निर्णय प्रति, 2018(3)CJ(Civ.)(Raj.) की प्रति नजीरें पेश की।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

रेस्पा0 संख्या 02 की ओर से लिखित बहस पेंश एवं अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुयें, निवेदन किया कि अपील गलत तथ्यों पर पेश की है। रैस्पा0 संख्या 02 की शादी रैस्पा0 संख्या 01 से दिनांक 05.05.2001 में हुई थी, और ब्याहता पत्नी है। किसी प्रकार झगडालू किस्म की महिला नहीं है। रैस्पा0 संख्या 01 सुधीर बदचलन का व्यक्ति है और पति के गैर महिलाओं से नाजायज संबंध है, और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता है। मैनें अपने पति के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट की है। जिस कारण अपीलार्थी अपने पुत्र से मिलकर मुझे परेशान करते है। रैस्पा0 संख्या के 02 बच्चियां है जिनकी पढाई लिखाई भी बच्चियों के मामा द्वारा कराई जा रही है। रैस्पा संख्या 02 शातंप्रिय महिला है, और कमाई का कोई साधन नही है, मुझे व उसकी 02 मासूम बच्चियों को धर से निकलाना चाहते है। हम एक छोटे से पोर्शन में रहकर अपना गुजारा कर रहें है। रैस्पा0 संख्या 01 प्रोपर्टी डीलर है जो अपनी सारी कमाई अपने अशआराम में लगा देता है। रैस्पा0 संख्या 02 जिस मकान में रहती है मेरी सास ने अपनी जीवनकाल में सबको अलग–2 कर दिया था। मेरा आने–जाने का रास्ता बंद कर मुझे परेशान करते है। अपीलार्थी एवं रैस्पा0 संख्या 01 तंग व परेशान कर रहें है और भरी मानसिक अघात दे रहें है। रैस्पा0 संख्या 02 एवं अपीलार्थी एवं रैस्पा0 संख्या 01 के विरूद्व मुकदमात विचाराधीन है। तहत अदालत के आदेश में कोई कमी नही है, आदेश नियमानुसार पारित किया है अतः अपील खारिज फरमाई जावें। अपने कथन की पुष्टी में प्रार्थना पत्र महिला थाना की प्रति, इस्तगासा अन्तर्गत धारा 406, 798ए की प्रति, आवेदन पत्र धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रति, प्रा0पत्र धारा 125 गुजारा भत्ता की प्रति, बच्चियों की फीस रसीद की प्रति, नोटिस की प्रति, सी डी, रसीद दान की प्रति, रिपोर्ट सीढियां तोडने, इस्तगासा 107,116 की प्रति,जमानतानाम की प्रति, बंधक पत्र की प्रति, फर्द गिरफ्तारी की प्रति, फर्द सूची, धरेलु हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 व 19 की नजीर के साथ पेंश की गई।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अधिनियम 2007 की धारा 23 का मूल दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिक के हित के संदर्भ में लिया जाकर अपीलार्थी के जीवन यापन के साधन के रूप में मेरे प्लॉट से रैस्पा0 संख्या 2 से कब्जा छोडकर अपीलार्थी को कब्जा दिलाया जावें। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। रैस्पा0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया धरेलु हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 में साझा धर में निवास करने का अधिकार है। विवादित मकान की वसीयत की गई है जो पारिवारिक नहीं है, रैस्पा0 द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्पा नहीं होती है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा–9 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मकान छोड़ने के दण्ड से दण्डित किया जा सके। अधिनियम की धारा 23 के तहत कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य किया जा सकता है परन्तु जब सम्पत्ति इस शर्त के अधीन अन्तरित की जावे कि मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। पत्रावली के संलग्न फोटो प्रति वसियतनामा के संबंध में रेस्पा0 संख्या 02 ने ऐसा कोई तथ्य जाहिर किया कि सम्पत्ति का अन्तरण सशर्त किया

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

गया था। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 04–02–2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकराना को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)